महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र.–7/ टीकाकरण/2021/591 भोपाल, दिनांक 27/04/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 पुष्ट रोगियों के रिकवरी उपरान्त कोविड टीकाकरण के संबंध में।
संदर्भः– भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नावली (FAQs) दिनांक 02/03/2021

विषयांतर्गत राज्य स्तरीय संज्ञान में आया है कि कोविड–19 के उत्तरजीवियों एवं जिलो के स्वास्थ्य अमलों के मन में यह संशय है कि कोविड–19 पुष्ट रोगियों के रिकवरी उपरान्त कोविड टीकाकरण कब कराया जाना उचित है। यह साक्ष्य आधारित है कि कोविड–19 संक्रमण के इतिहास वाले रोगियों को भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के पर्याप्त विकास हेतु कोविड टीकाकरण की आवश्यकता है।

स्पष्ट किया जाता है कि:–

- चूंकि, वर्तमान में कोविड संक्रमण के उपरान्त रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास की जानकारी एवं सुरक्षा अवधि प्रमाणित नहीं है अतः, कोविड–19 पुष्ट रोगियों का लक्षण समाप्ति/रिकवरी के 4–8 सप्ताह के उपरान्त कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सकता है।
- अद्यतन परिस्थिति में, कोविड संदिग्ध (Suspect) अथवा कोविड संक्रमण की पुष्टि होने पर (COVID Confirmed), संक्रमित व्यक्ति का टीकाकरण स्थगित किया जाये।

<u>अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित</u>

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

पृ.क्र.–7/ टीकाकरण/2021/592 भोपाल, दिनांक 27/04/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश